संख्या-जी-3--1555/दस--909/79

प्रेषक,

श्री जगमोहन लाल बजाज,
वित्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख-
कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश ।

दिनांक : लखनऊ : 30 सितम्बर, 1982 ।

विषय : सेवा निवृत्त सरकारी सेवकों, जिनके विरुद्ध सतर्कता जांच चल रही हो, को अन्तिम पेंशन का भुगतान ।

महोदय,

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सेवानिवृत्त होने वाले ऐसे सरकारी सेवकों, जिनके विरुद्ध सेवा निवृत्ति के समय वैभागिक अथवा न्यायिक कार्यवाही अथवा सतर्कता / प्रशासनाधिकरण जांच चल रही हो अथवा किया जाना अपेक्षित हो, को नियमानुसार देय ग्रेचुइटी की सम्पूर्ण धनराशि रोक कर कतिपय शर्तों के अधीन अनन्तिम पेंशन का भुगतान किये जाने की व्यवस्था शासनादेश सं0 सा-3-1679/दस-80-909-79, दिनांक 28-10-1980 तथा सं0 सा0 3-1608/दस-909-79, दिनांक 24-10-1981 में की गई थी ।

2--उपरोक्त मामले पर पुनर्विचार करने पर यह पाया गया है कि सतर्कता जांच एक "फैक्ट फाइन्डिंग इन्क्वायरी" होती है, विभागीय कार्यवाही नहीं । यदि इस जांच के फलस्वरूप सरकारी सेवकों के विरुद्ध ऐसे तथ्य सम्मुख आते हैं जिसके लिये वैभागिक / न्यायिक कार्यवाही की आवश्यकता हो तो ऐसी कार्यवाही आरम्भ की जाती है । यदि सरकारी सेवक के सेवाकाल में उक्त कार्यवाही आरम्भ नहीं की जा सकी है तो सेवानिवृत्ति के बाद सी0 एस0 आर0 के अनुच्छेद 351-ए के अन्तर्गत ऐसी कार्यवाही केवल ऐसी घटनाओं के सम्बन्ध में ही आरम्भ की जा सकती है जो कार्यवाही आरम्भ करने की तिथि से पूर्व की 4 वर्ष की अवधि के अन्दर घटित हुई हों । उक्त नियम में प्राविधान है कि वैभागिक / न्यायिक कार्यवाही के फलस्वरूप दोषी पाये गये सरकारी सेवक की पूरी अथवा आंशिक पेंशन स्थाई रूप से या निर्धारित अवधि तक रोकी या अपहरित की जा सकती है या यदि स्वीकृत हो गई हो तो वापस ली जा सकती है अथवा शासन को हुई आर्थिक हानि की उससे वसूली की जा सकती है । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि सतर्कता जांच या अन्य किसी फैक्ट फाइन्डिंग जांच के मामलों में पेंशन स्वीकृत कर देने के बाद भी दोषी सेवकों की पेंशन रोकने, कम करने, समाप्त करने तथा हानि की वसूली कराने का शासन का अधिकार सी0 एस0 आर0 के अनुच्छेद 351-ए में वर्णित प्रतिबन्धों के अधीन बना रहता है किन्तु सतर्कता जांच के दौरान अंतिम पेंशन / ग्रेचुइटी का भुगतान रोकने से सेवा निवृत्त कर्मचारियों को अनावश्यक रूप से कठिनाई का सामना करना पड़ता है ।

3--वर्णित परिस्थितियों में उपरोक्त शासनादेश दिनांक 28-10-1980 तथा दिनांक 24-10-1981 का आंशिक संशोधन करते हुये शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि उनमें निहित आदेश सतर्कता जांच के मामलों में लागू न किये जायेंगे और सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवकों की पेंशन / ग्रेचुइटी का भुगतान इस आधार पर न रोका जाय कि उनके विरुद्ध सतर्कता जांच चल रही है । विभागीय/न्यायिक कार्यवाही अथवा प्रशासनाधिकरण जांच के मामलों में अनन्तिम पेंशन स्वीकृत करने तथा ग्रेचुइटी की सम्पूर्ण धनराशि रोके रखने की व्यवस्था पूर्व की भांति बनी रहेगी ।

4--उपर्युक्त व्यवस्था से सम्बन्धित नियम संशोधित माने जायेंगे और औपचारिक संशोधन यथासमय अलग से किये जायेंगे ।

5--कृपया इस शासनादेश की प्राप्ति स्वीकार की जाय ।

भवदीय,
जगमोहन लाल बजाज,
वित्त सचिव ।

संख्या जी-3-1555 (1) / दस-909/79

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1--महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
2--सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
3--विधान सभा / विधान परिषद् सचिवालय ।

आज्ञा से,
बसन्त लाल शाह,
संयुक्त सचिव ।

पी0एफ0यू0पी0--ए0 पी0 39 सा0 (भाषा)--13-10-82--(2266)--1982--10,000 (मेक0) ।